बिहार लोक सेवा आयोग

15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना – 800001

साक्षात्कार का विस्तृत कार्यक्रम एवं निदेश

विज्ञापन संख्या – 02/2017 के अधीन सहायक अभियंता, असैनिक प्रतियोगिता परीक्षा के अन्तर्गत साक्षात्कार का विस्तृत कार्यक्रम एवं निदेश निम्न प्रकार है:–

क्र.सं.	दिन एवं दिनांक	प्रथम पाली (समयः 10:30 बजे पूर्वाह्न से) उम्मीदवारों का अनुक्रमांक	द्वितीय पाली (समयः 2:30 बजे अपराह्न से) उम्मीदवारों का अनुक्रमांक
1.	शुक्रवार (25.06.2021)	205838, 208308, 218973, 219057, 219400, 219459, 219985, 220071, 221558, 221899, 222369, 222485, 222541	222791, 222865, 222873, 223173, 223356, 223497, 223835, 224117, 224162, 224253, 224414, 224650, 225043
2.	शनिवार (26.06.2021)	225154, 225296, 225333, 225446, 225881, 225956, 225976, 226025, 226036, 226187, 226208, 226285, 226287	226385, 226387, 226442, 226567, 226574, 226607, 226665, 226795, 226866, 226942, 226958, 227290, 227306
3.	रविवार (27.06.2021)	227389, 227457, 227515, 227664, 227716, 227799, 227801, 227811, 227837, 227887, 227955, 227979, 228114	228118, 228261, 228282, 228283, 228314, 228455, 228531, 228746, 228760, 228840

2. **साक्षात्कार के अगले चरण का कार्यक्रम बाद में प्रकाशित किया जायेगा।**
3. उपर्युक्त उम्मीदवारों के साक्षात्कार पत्र **साक्षात्कार की निर्धारित तिथि के एक सप्ताह पूर्व से** आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध रहेंगे, जिसे उम्मीदवार द्वारा अपना अनुक्रमांक डालकर डाउनलोड किया जा सकता है। **साक्षात्कार पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जायेगा। उक्त वेबसाईट पर आवेदन पत्र का सार प्रपत्र–I भी उपलब्ध रहेगा, जिसे उम्मीदवार द्वारा भरकर साक्षात्कार के दिन लाना अनिवार्य है।**
4. **साक्षात्कार के दिन उम्मीदवारों को मूल विज्ञापन एवं साक्षात्कार पत्र में उल्लिखित अपनी योग्यता सम्बन्धी निम्नांकित मूल (Original) प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं इन सभी की दो स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति भी साथ में लाना अनिवार्य होगा:–**

(i) जन्म तिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।

(ii) बी.ई./बी.टेक./बी.एससी. इंजी./डिप्लोमा (4 वर्षीय) का प्रमाण पत्र।

(iii) बी.ई./बी.टेक./बी.एससी. इंजी./डिप्लोमा (4 वर्षीय) का अंक पत्र।

(iv) पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र **(महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है)।**

(v) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नहीं आने सम्बन्धी घोषणा पत्र (विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर)।

(vi) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र **(महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है)।**

(vii) निःशक्तता संबंधी वैध प्रमाण पत्र।
नोटः– अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण (Renewal) नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा।

(viii) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी के आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा मनोनीत पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत प्रमाण पत्र। **मात्र परिचय पत्र मान्य नहीं होगा।**

(ix) अधिकतम उम्र सीमा में छूट सम्बन्धी दावा करने वाले ऐसे अभ्यर्थी, जो बिहार सरकार के नियमित सरकारी सेवक हैं एवं तीन वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हैं, से सम्बन्धी विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।

(x) पहचान पत्र (फोटोयुक्त)।

(xi) दो पासपोर्ट साईज के अद्यतन फोटोग्राफ **(Recent Photograph)**।

यदि कोई अभ्यर्थी साक्षात्कार के दिन उपरोक्त वर्णित सभी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं तो इसके लिए कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों की अर्हता के सम्बन्ध में यथासमय समुचित निर्णय लेने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा।

योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन पत्र में किया है। योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र के निर्गत होने की तिथि, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 06.12.2017 के पूर्व का होना आवश्यक है।

5. (i) यदि आपने आरक्षित पद के लिए दावा किया है, तब साक्षात्कार के समय अनुसूचित जाति/जनजाति के मामले में अपने स्थायी अधिवास अंचल के अंचल अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र जमा कर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

   (ii) पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक 673, दिनांक 08.03.2011 एवं पत्रांक 704, दिनांक 10.03.2011 के आलोक में बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपने स्थायी अधिवास अंचल के अंचल अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा कर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

6. साक्षात्कार के लिए बुलाए जा रहे आवेदकों की अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है। साक्षात्कार में शामिल होने मात्र से उनकी अर्हता सम्पुष्ट नहीं होती है। साक्षात्कार के समय या उसके बाद उनकी अर्हता पर यथासम्भव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

7. सभी उम्मीदवार अपने साक्षात्कार के दिन साक्षात्कार पत्र के अलावे अपना एक अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र, यथा–मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस इत्यादि से कोई एक मूल में एवं इसकी 02 छायाप्रतियाँ स्वहस्ताक्षरित कर अपने साथ अनिवार्य रूप से लाना सुनिश्चित करेंगे।

8. साक्षात्कार हेतु आमंत्रित उम्मीदवारों को मोबाईल फोन या किसी प्रकार का इलेक्ट्रोनिक गैजेट यथा ब्लू–टूथ, Wifi, इलेक्ट्रोनिक पेन इत्यादि आयोग परिसर में लाना वर्जित है।

9. साक्षात्कार के समय उपस्थित होने वाले वैसे उम्मीदवार जिनके Covid-19 जाँच में Positive पाये गये थे वे साक्षात्कार के समय यथासम्भव अपना Covid –ve रिर्पोट साथ में लायेंगे।

10. सम्बन्धित उम्मीदवार अपने साक्षात्कार कार्यक्रम के अनुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को साक्षात्कार हेतु निर्धारित समय से 1½ घण्टा पूर्व उपस्थित होंगे।

3.6.21

संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना